

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया प्रतर्बिंध लगाया

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd- PPBL) पर सख्त प्रतर्बिंध लगाए हैं। यह कदम एक ऑडिट रिपोर्ट द्वारा बैंक के भीतर लगातार गैर-अनुपालन और पर्यवेक्षी चर्ताओं को उजागर करने के बाद उठाया गया है।

PPBL पर कौन-से प्रमुख प्रतर्बिंध लगाए गए हैं?

- **पृष्ठभूमि:** बैंकिंग वनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A, RBI को बैंकों को नरिदेश जारी करने और किसी भी बैंकिंग इकाई के संचालन को जमाकरत्ताओं के हर्तों के संबंध में हानिकारक या बैंक के स्वयं के हर्ति में प्रतर्कूल तरीके से संचालति होने से रोकने के लयि आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करती है।
 - इस मामले से जुड़े सूत्र इस बात का संकेत देते हैं कपेटीएम और उससे जुड़ी बैंकिंग इकाई के बीच आवश्यक रकम से जुड़े संदगिध लेनदेन पर चर्ताओं ने RBI को इसके खलाफ कार्रवाई के लयि प्रेरति कयि।
 - कथति तौर पर PPBL में गैर-अनुपालन वाले कई खाते थे जनिमें उचति KYC सत्यापन का अभाव था, ऐसे हज़ारों उदाहरण थे जहाँ एक ही [पैन नंबर](#) का उपयोग कई खाते खोलने के लयि कयि गया था।
 - इसके अतरिक्रित, न्यूनतम KYC प्रीपेड जैसे साधनों के ज़रयि नयिामक सीमा से अधिक लेनदेन ने संभावति [मनी लॉन्डरगि](#) गतविधियों का संकेत दयि।
- **प्रमुख प्रतर्बिंध:**
 - **जमा पर रोक:** PPBL को 29 फरवरी, 2024 से अपने खातों या वॉलेट में आगे जमा, टॉप-अप या क्रेडिट लेनदेन स्वीकार करने से रोक दयि गया है।
 - यह [FASTag](#) और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) कार्ड के लयि इसके प्रीपेड उपायों पर भी लागू होता है।
 - **सेवा सीमाएँ:** यह प्रतर्बिंध [आधार सकषम भुगतान प्रणाली](#), तत्काल भुगतान सेवा, बलि भुगतान और UPI हस्तांतरण जैसी बैंकिंग सेवाओं तक वसितारति है।
 - बैंक को 29 मार्च, 2024 तक सभी पाइपलाइन और नोडल खाता हस्तांतरण का नपिटान करना होगा, उसके बाद कोई अन्य हस्तांतरण करने की अनुमतनिहीं होगी।
 - **नोडल खातों को बंद करना:** PPBL को 29 फरवरी, 2024 से पहले अपनी मूल कंपनी और पेटीएम भुगतान सेवाओं के नोडल खातों को समाप्त करने का नरिदेश दयि गया है।

नोट: नोडल खाते व्यवसायों द्वारा स्थापति वशिष बैंक खातों के रूप में कार्य करते हैं, जो वत्तितीय मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं।

- इन खातों को उपभोक्ताओं की ओर से भाग लेने वाले बैंकों से एकत्र कयि गए धन को रखने के लयि डिज़ाइन कयि गया है, जसिका प्राथमकि उद्देश्य है बाद में इन नधियों को वशिषिट व्यापारियों को हस्तांतरति करना।

पेमेंट बैंक क्या हैं?

- **परचिय:**
 - पेमेंट बैंक वर्ष 2014 में [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) द्वारा शुरू कयि गए एक वशिष प्रकार के बैंक हैं। इन्हें बैंकिंग सुवधियों से वंचति और कम बैंकिंग सेवाओं वाली आबादी को बुनयिादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके वत्तितीय समावेशन को बढ़ावा देने के लयि अभकिलपति कयि गया है।

- इन्हें छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिये वित्तीय सेवाओं की जाँच हेतु भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा गठित [नचकित मोर समिति](#) की सफ़ारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।
- उदाहरण: एयरटेल पेमेंट्स बैंक, [इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक](#), आदि।
- लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ: इन्हें [बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949](#) की धारा 22 (1) के तहत लाइसेंस प्राप्त है।
- ये भारतीय रज़िर्व बैंक की वभिदति बैंक लाइसेंस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पूरी शृंखला की पेशकश करने से प्रतिबंधित हैं।
- भारतीय रज़िर्व बैंक दो प्रकार के बैंकिंग लाइसेंस देता है: **सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस और वभिदति बैंक लाइसेंस**।
- विशेषताएँ:
 - नकदी नधि आवश्यकताएँ: उन्हें आरक्षति नकदी नधि अनुपात (CRR) और सांविधिक चलनधि अनुपात (SLR) बनाए रखना आवश्यक होता है।
 - एक वर्ष तक की परपिक्वता के साथ सांविधिक चलनधि अनुपात अर्हत G-प्रतिभूतियों/टी-बलियों में इसकी मांग नकिषेप शेष राशति का न्यूनतम 75% होता है।
 - आरक्षति नकदी नधि अनुपात संबंधी आवश्यकताओं को बनाए रखने के अलावा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में चालू और सावधि/सावधि जमा अधिकतम 25% होना चाहिये।
 - न्यूनतम चुकता पूंजी: न्यूनतम चुकता इक्वटी पूंजी 100 करोड रुपए तय की गई है।
 - प्रवर्तक का प्रदत्त इक्वटी पूंजी में न्यूनतम प्रारंभिक योगदान पहले 5 वर्षों के लिये कम से कम 40% होगा।
 - नषिदिध सेवाएँ: उन्हें ऋण देने या क्रेडिट कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है।
 - इसलिये, उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नियमों से भी छूट दी गई है जो आम तौर पर पारंपरिक बैंकों पर लागू होते हैं।
 - ग्रामीण अभगिम आवश्यकताएँ: पेमेंट्स बैंक के कम से कम 25% भौतिक अभगिम बडि ग्रामीण केंद्रों में होने चाहिये।
- पेमेंट बैंकों द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ:
 - व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों से एक नश्चित सीमा तक (वर्तमान में प्रतिखाता 2 लाख रुपए नरिधारति) जमा स्वीकार करना।
 - प्रेषण सेवाएँ प्रदान करना और घरेलू धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।
 - ATM/डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान उपाय और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियाँ प्रस्तुत करना।
 - ऑनलाइन नधि अंतरण और बलि भुगतान सहति इंटरनेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना।

System	Access Deposit	Advance Loan	Make Payment
Commercial banks like SBI, PNB	YES	YES	YES
Payments network operators(Master card, VISA)	NO	NO	YES
Payments bank	YES	NO	YES